अर्चना गिरिश सबनीस

बनाम

बार काउंसिल ऑफ इंडिया अन्य

(सिविल अपील No.4232/2007)

नवंबर 26, 2014

[एम. वाई. एक्बाल और अभय मनोहर सेपरे, जे. जे.]

अधिवक्ता-अधिवक्ता के रूप में नामांकन-अस्वीकार-चालू इस आधार पर कि उम्मीदवार नामांकन के लिए पात्र नहीं था होम्योपैथी दवाओं में उनकी योग्यता के रूप में अर्थात लाइसेंसधारी परीक्षकों के न्यायालय (एल. सी. ई. एच.) को बार द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। भारतीय परिषद का स्वामित्व-आयोजितः एस से 13 और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम की अनुसूची और होम्योपैथिक विनियम, 1989 का विनियम 4, यह स्पष्ट है कि एल. सी. ई. एच. स्नातक की डिग्री नहीं है-उम्मीदवार यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि एल. सी. ई. एच. एक डिग्री या इसके समकक्ष है। केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ यू. जी. सी. द्वारा सत्यापित डिग्री-बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाने का अधिकार है किसी स्नातक के समकक्ष योग्यता को मान्यता देने की शक्ति स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के उद्देश्य से डिग्री कानून में डिग्री-उसे नामांकन से ठीक ही इनकार कर दिया गया था - अधिवक्ता अधिनियम, 1961-एस. 7 और 49-बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956। 22 (3) -होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973। 13 और दूसरी अनुसूची-होम्योपैथिक (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1989-विनियमन।

शब्द और वाक्यांश-'डिग्री'-का अर्थ, में एस का संदर्भ। 22 (3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 ,

न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया।

1. धारा 13 के प्रावधानों का अवलोकन होम्योपैथी केंद्रीय की दूसरी अनुसूची के साथ परिषद अधिनियम, 1973 से पता चलता है कि चिकित्सा किसी भी विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य द्वारा दी गई योग्यताएँ अनुसूची में शामिल संस्थान होंगे - उद्देश्य के लिए चिकित्सा योग्यता के रूप में मान्यता प्राप्त अधिनियम और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। दूसरी अनुसूची में विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों का उल्लेख किया गया है और डिप्लोमा पाठ्यक्रम और अन्य योग्यताएँ जो हैं - विभिन्न होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों द्वारा प्रदान किया गया और संस्थाएं। अनुसूची के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों के होम्योपैथी कॉलेजों को मान्यता प्राप्त है डिग्री पाठ्यक्रम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम। दूसरे से अनुसूची यह स्पष्ट है कि एल. सी. ई. एच. स्नातक की डिग्री नहीं है। लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा में अभ्यास करना एक योग्यता है। [पैरा 21] [720-डी-जी]

2. होम्योपैथिक के विनियमन 4 का अवलोकन यह स्पष्ट है कि प्रवेश के उद्देश्य से एम. डी. (होम.), उम्मीदवार के पास बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में डिग्री होनी चाहिए। (बीएचएमएस) या होम्योपैथी में समकक्ष योग्यता अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल होने के बाद,एक वर्ष अनिवार्य सहित कम से कम 5 वर्ष और 6 महीने की इंटर्नशिप अवधि का अध्ययन पूरा करना। मान लीजिए, अपीलार्थी के पास अधिकार बी. एच. एम. एस. में कोई डिग्री या समकक्ष योग्यता नहीं है तथा एल. सी. ई. एच. भी पास मे है योग्यता जो अपीलार्थी बिना किसी के 5 साल के पाठ्यक्रम से कम है अनिवार्य इंटर्नशिप। [पारस 23 और 24] [721-डी-जी]

3. विश्वविद्यालय अनुदान की धारा 22 की उप-धारा 3 आयोग अधिनियम, 1956 'डिग्री' शब्द को परिभाषित करता है जो इसका अर्थ है ऐसी कोई डिग्री जो इसके द्वारा

निर्दिष्ट की गई हो- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आधिकारिक राजपत्र में केंद्र सरकार की मंजूरी। अपीलार्थी एल. सी. ई. एच. की योग्यता एक डिग्री या उसके समकक्ष है यह दिखाने के लिए ऐसी कोई अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की है। सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 14 एस. सी. आर. के साथ आयोग द्वारा विधिवत अधिसूचित डिग्री। केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति। [पैरा 26] [722-सी-ई]

4. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों में कहा गया है कि डिग्री के लिए कानून के पाठ्यक्रम में शामिल होने का उद्देश्य, उम्मीदवार को किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या होना चाहिए ऐसी शैक्षणिक योग्यताएँ हों जो - एक स्नातक की डिग्री के बराबर माना जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। विशेष रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिकार देता है कानून में डिग्री के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाले नियम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। बार काउंसिल के पास है किसी भी समकक्ष को पहचानने की स्वतंत्र शक्ति के उद्देश्य के लिए स्नातक की डिग्री के लिए योग्यता कानून में स्नातक की डिग्री के पाठ्यक्रम में प्रवेश। [पैरा 27 और 28] [722-ई-एच]

5. बार काउंसिल ऑफ इंडिया अनुदान देने के लिए बाध्य नहीं है अनुज्ञप्ति जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है। कानून का पालन करना और कानून का अभ्यास करना दो अलग-अलग चीजें हैं। कोई कर सकता है। कानून का पालन करें लेकिन लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से अभ्यास, उसे सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित शर्तें [पैरा 31] [726-सी-डी]

बार काउंसिल ऑफ इंडिया अन्य एन. आर. वी. अपर्णा बसु मल्लिक और अन्य (1994) 2 एससीसी 102-पर निर्भर।

केस लॉ संदर्भ

(1994) 2 एससीसी 102। पर भरोसा किया पैरा 30

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2007 की सिविल अपील सं 4232

बॉम्बे का उच्च न्यायालय के 2002 के रिट याचिका संख्या 6133 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 10.04.2006 से

ब्रज के. मिश्रा, विजय कुमार, सुश्री अपर्णा झा, विश्वजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, अविरल शुक्ला, सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, अमृतेश राय, निर्मल अम्बस्ता, सुश्री प्रियंका स्वामी, अमित ए. पाई, संतोष पॉल, अरविंद गुप्ता, देवप्रिया पाल, एम. जे. पॉल, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश एम. वाई. एक्बाल, जे. के द्वारा पारित किया गया।

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील इसके खिलाफ निर्देशित है उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 10.4.2006 बॉम्बे में न्यायिक प्रक्रिया जिसके तहत 2002 के रिट याचिका No.6133 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका खारिज कर दी गई।

2. संक्षिप्त में अपीलार्थी का मामला यह है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम अर्थात न्यायालय के लाइसेंसधारी के पूरा होने के बाद होम्योपैथी दवाओं (एल. सी. ई. एच.) में परीक्षक, उन्होंने लिया मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एल. एल. बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश। अपीलार्थी द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि एल. सी. ई. एच. के रूप में

माना जाता है केंद्रीय परिषद द्वारा स्नातक की डिग्री के समकक्ष होम्योपैथी और इस तरह के निर्णय को भी मंजूरी दी जाती है वेतनमान की बराबरी के लिए भारत सरकार।

3. मुंबई विश्वविद्यालय ने अपीलार्थी को स्वीकार किया समानता के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के बाद कानून पाठ्यक्रम उसके पास पेशेवर योग्यता है। इसके बाद अपने एल. एल. बी. डिग्री पाठ्यक्रम का समापन, अपीलार्थी कानून का अभ्यास करने की इच्छा रखने वाली ने अपना प्रमाण पत्र समर्पण कर दिया होम्योपैथी का अभ्यास करना, जिसे विधिवत रूप से स्वीकार किया गया था महाराष्ट्र होम्योपैथी परिषद 25.9.2001 पर।

4. अक्टूबर, 2001 में, अपीलार्थी ने बार काउंसिल में आवेदन किया के रूप में अपना नामांकन कराने के लिए महाराष्ट्र और गोवा अधिवक्ता और यह जानने पर कि उसका मामला उसकी पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा गया है अपनी स्नातक योग्यता के संदर्भ में नामांकित होने के लिए, अपीलार्थी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष प्रतिनिधित्व किया। 23.1.2002 पर, महाराष्ट्र की बार काउंसिल और गोवा सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट सूचित अपीलार्थी कि उसे नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है एक अधिवक्ता के रूप में उनकी योग्यता के रूप में एल. सी. ई. एच. को पुनर्गठित नहीं किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया।

5. अपीलार्थी द्वारा आवेदन किए जाने पर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिनांकित 8.8.2002 पत्र द्वारा दोहराया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम एल. सी. ई. एच. को डिग्री पाठ्यक्रम के समकक्ष नहीं माना जाता है। इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय रिट याचिका के माध्यम से प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए संचार को रद्द करने का अनुरोध करते हुए सूचित करता है कि वह की योग्यता के बाद से अधिवक्ता

के रूप में नामांकन की मांग नहीं कर सकते होम्योपैथी में एल. सी. ई. एच. के समतुल्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है स्नातक। अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र या बार काउंसिल ऑफ इंडिया सवाल का फैसला करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र या प्राधिकरण नहीं है शैक्षणिक योग्यताओं की समानता, और इसलिए, उनकी आदेश मान्य नहीं हैं। बॉम्बे विश्वविद्यालय ने विचार किया है यह बी. एच. एम. एस. के समतुल्य डिग्री के रूप में अपीलार्थी ने स्वीकार किया तीन साल के एल. एल. बी. पाठ्यक्रम के लिए और अब उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। एल. सी. ई. एच. की डिग्री की गैर-मान्यता के आधार पर नामांकन। यह भी दलील दी गई है कि अपीलार्थी नहीं था उसे अपना मामला सामने रखने का अवसर दिया गया और इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया और इसके परिणामस्वरूप यह पूरी कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

6. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है। अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री. ब्रज के. मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का गठन हुआ होम्योपैथी केंद्रीय के प्रावधानों के तहत स्थापित परिषद अधिनियम, 1973 और इस वैधानिक निकाय का मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाना था। भारत में और विभिन्न नामकरणों में एकरूपता लाने के लिए भी विभिन्न संस्थानों द्वारा संचालित होम्योपैथी के पाठ्यक्रमों के लिए। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद ने विचार करने के बाद डी. एम. एस. में पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम और नामकरण, डी. एच. एम. एस., एल. सी. ई. एच., आदि ने एक आम रखने का फैसला किया होम्योपैथी में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए नामकरण अर्थात बी. एच. एम. एस.। होम्योपैथी में एल. सी. ई. एच. का व्यावसायिक पाठ्यक्रम अर्चना गिरिश सबनीस बनाम। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य [एम. वाई. एक्बाल, जे.]

अपीलार्थी द्वारा पहले पूरा किया गया माना जाता था होम्योपैथी। यह भी अनुरोध किया जाता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास समकक्ष के संबंध में एक परिभाषित नीति भी नहीं है। स्नातक डिग्री तक की शैक्षणिक योग्यता और और उस मामले में अन्य पेशेवर निकाय का निर्णय जैसे केंद्रीय होम्योपैथी परिषद और शैक्षणिक निकाय जैसे मुंबई विश्वविद्यालय निर्णायक होना चाहिए।

7. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि अनुपस्थिति में भारतीय विधिज्ञ परिषद की परिभाषित नीति जिसके बारे में शैक्षणिक योग्यता को स्नातक की डिग्री के बराबर माना जा सकता है, इसके लिए कोई सूचना नहीं थी बार द्वारा लिए गए या लिए जाने वाले दृष्टिकोण के संबंध में अपीलार्थी भारतीय परिषद, और इसलिए, यह पूरी तरह से कानूनी था और अपीलार्थी के लिए यह मान लेना उचित है कि निर्णय लिया गया है केंद्रीय होम्योपैथी परिषद और विश्वविद्यालय द्वारा मुंबई और भारत सरकार कानूनी रूप से सही हैं। में वर्तमान मामले में, अपीलार्थी को एक अवसर भी नहीं मिला बार काउंसिल को दृष्टिकोण को देखने और जांचने के लिए राजी करें अपीलार्थी का। अपीलार्थी द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि एल. एल. बी. पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, उसने एल. एल. एम. भी पूरा किया। मुंबई विश्वविद्यालय में दूसरी रैंक और वर्तमान में वह एक सदस्य, जिला उपभोक्ता मंच, ठाणे के रूप में काम कर रही हैं। तब से बार काउंसिल के फैसले का तार्किक पतन वस्तुतः है विधि पाठ्यक्रम में अपीलार्थी के प्रवेश को उलटना, अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई है न्याय का हित।

8. बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मानकों को निर्धारित करने का अधिकार है कानूनी शिक्षा और कानून में डिग्री की मान्यता अधिवक्ता के रूप में प्रवेश का उद्देश्य।

योग्यता अपीलार्थी के पास किसी भी समय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट नहीं मानी गई थी बार द्वारा विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री के समकक्ष काउंसिल ऑफ इंडिया। न तो अपीलार्थी ने और न ही विश्वविद्यालय ने की पात्रता के बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ कोई पूछताछ एल. सी. ई. एच. में प्रवेश के लिए योग्यता रखने वाले छात्र तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम। केंद्रीय परिषद का निर्णय एल. सी. ई. एच. को डिग्री के बराबर मानने वाली होम्योपैथी नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर बाध्यकारी। यह दावा किया गया है कि सरकार का कुछ पाठ्यक्रमों का इलाज करने का निर्णय डिग्री के बराबर के रूप में होम्योपैथी को निर्धारित करने के लिए लिया गया था वेतनमान और उनके किसी भी पैमाने में किसी भी असमानता से बचना होम्योपैथी में विभिन्न योग्यताएँ होना। यह नहीं हो सकता। उक्त योग्यता को मान्यता देने वाले निर्णय के रूप में समझा जाए उसी विषय में या किसी अन्य विषय में आगे की पढ़ाई के लिए। इसके अलावा, विवादित निर्णय से, बार काउंसिल ऑफ भारत एल. एल. बी. की डिग्री वापस नहीं ले रहा है अपीलार्थी, लेकिन अपीलार्थी को जो अस्वीकार किया जा रहा है वह है अधिवक्ता के रूप में नामांकन।

9. विद्वान वकील ने अपीलार्थी का वह पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 20 मार्च, 2002 को कानूनी शिक्षा के समक्ष रखा गया था। भारतीय बार काउंसिल की समिति ने अपनी बैठकों में 28, 29 और 30 जून, 2002 को और कानूनी शिक्षा समिति ने इस पर विचार किया और निम्नलिखित बनायाः सिफारिशें

> "कानूनी शिक्षा समिति ने श्रीमती अर्चना गिरीश सबनीस से प्राप्त पत्र पर विचार किया जिसमें अनुरोध किया गया था महाराष्ट्र होम्योपैथी परिषद द्वारा प्रदान की गई डिग्री को मान्यता देने के लिए परिषद तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक। विचार-विमर्श के बाद समिति का विचार है कि श्रीमती अर्चना गिरीश सबनीस को पहले

ही सूचित कर दिया गया है। कि L.C.E.H. महाराष्ट्र द्वारा प्रदान की गई डिग्री होम्योपैथी परिषद को तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, प्रश्न' पुनर्विचार उत्पन्न नहीं होता है।

10. उपरोक्त सिफारिश को प्रस्तुत किया गया था भारतीय बार काउंसिल ने 30 जून, 2002 को आयोजित अपनी बैठक में और परिषद ने उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया जो विधिवत थी अपीलार्थी को दिनांकित 08.08.2002 पत्र के माध्यम से सूचित किया गया।

11. परिषद की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि एल. एल. बी एक पेशेवर पाठ्यक्रम है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में स्नातक है। या उसके समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त कोई अन्य योग्यता, बार काउंसिल को एल. सी. ई. एच. को मान्यता देना उचित नहीं लगा। के उद्देश्य के लिए स्नातक के समकक्ष योग्यता तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश और यह तथ्य कि किसी अन्य द्वारा स्नातक की डिग्री के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त प्राधिकरण की कोई प्रासंगिकता नहीं है और यह बार पर बाध्यकारी नहीं है काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रत्येक मामले की जांच करती है। स्वतंत्र रूप से और बिना अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुँचता है इस संबंध में अन्य प्राधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों से प्रभावित।

12. यह तय करने के लिए कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया थी अपीलार्थी के अधिवक्ता के रूप में नामांकन से इनकार करने में न्यायसंगत, हम प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करना उचित समझते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए अधिवक्ता अधिनियम और नियम।

13. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7 (संक्षेप में, "अधिनियम") भारतीय विधिज्ञ परिषद के विभिन्न कार्यों को निर्धारित करता है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना और कानून बनाना शामिल है। के परामर्श से ऐसी शिक्षा का स्तर नीचे करना भारत में ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और राज्य बार परिषदें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी मान्यता देगी। विश्वविद्यालय, जिनके लिए कानून में डिग्री एक योग्यता होगी एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन और उस उद्देश्य के लिए दौरा करना और विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करें या राज्य बार परिषदों का दौरा कराएं और ऐसे निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करना। जैसा कि यह इस ओर से दे सकता है।

14. अधिनियम की धारा 24 में प्रावधान है कि एक व्यक्ति राज्य सूची में अधिवक्ता के रूप में भर्ती होने के लिए योग्य है यदि वह उस खंड में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है, जो पढ़ता है निम्नानुसारः

> " 24. ऐसे व्यक्ति जिन्हें अधिवक्ता के रूप में भर्ती किया जा सकता है राज्य रोल।
>
> (1) इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अधीन, इसके तहत, एक व्यक्ति होने के लिए योग्य होगा राज्य सूची में एक वकील के रूप में भर्ती किया जाता है, यदि वह पूरा करता है निम्नलिखित शर्तें।
>
> अर्थात्ः
>
> (a) वह भारत का नागरिक हैः बशर्ते कि अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम में किसी अन्य देश के नागरिक को प्रवेश दिया जा सकता है।

(b) उसने बीस-एक वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(c) उसने कानून में डिग्री प्राप्त की है।

(i) 12 मार्च, 1967 से पहले किसी भी विश्वविद्यालय से भारत के राज्य क्षेत्र में; या

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पहले किसी भी विश्वविद्यालय से कोई भी क्षेत्र जो उस तारीख से पहले शामिल था भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा परिभाषित भारत;

या

(iii) मार्च, 1967 के 12 वें दिन के बाद, उपखंड

(iii (अ) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, तीन साल का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद। बार काउंसिल द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त भारत का

(iii (अ) कानून में अध्ययन के पाठ्यक्रम से गुजरने के बाद, अवधि जिनमें से कम से कम दो शैक्षणिक वर्ष शुरू हो रहे हैं। शैक्षणिक वर्ष 1967-68 या इससे पहले के किसी भी शैक्षणिक वर्ष से भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त वर्ष भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन; या

(iv) किसी अन्य मामले में, विश्वविद्यालय के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय से भारत का क्षेत्र, यदि डिग्री को आर. सी. एच. ए. एन. ए. गिरिश सबनीस बनाम के लिए मान्यता प्राप्त है।

भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन या; वह है बैरिस्टर और 31 तारीख को या उससे पहले बार में बुलाया जाता है दिसंबर, 1976 का दिन 4 [या लेख लिपिक को पारित कर दिया है। द्वारा निर्दिष्ट परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा एक के रूप में नामांकन के लिए बॉम्बे या कलकत्ता में उच्च न्यायालय उस उच्च न्यायालय का वकील; या ऐसा अन्य प्राप्त किया है भारतीय बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त कानून में विदेशी योग्यता इस अधिनियम के तहत अधिवक्ता;

(e) वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं। इसके तहत राज्य बार काउंसिल द्वारा बनाए गए नियमों में अध्याय;

(f) उसने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, नामांकन के संबंध में भुगतान किया है। 1899), और राज्य बार को देय एक नामांकन शुल्क छह सौ रुपये की परिषद और बार काउंसिल को भारत, एक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एक सौ पचास रुपये उस परिषद के पक्ष में तैयार किया गयाः बशर्ते कि जहां ऐसा व्यक्ति सदस्य हो ऐसे प्राधिकारी से उस आशय का प्रमाण पत्र जो हो सके निर्धारित, राज्य को उसके द्वारा देय नामांकन शुल्क बार काउंसिल एक सौ रुपये और बार के लिए होगी। परिषद भारत, पच्चीस रुपये। "

15. अब हम भाग के नियम 1 के उप-नियम (1) को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। नियम जो सभी भौतिक समय पर थेः

"1. (1) धारा 24 (1) (सी) (iii-a) में दिए गए प्रावधान के अनुसार बचत करें।

अधिनियम, किसी भी विश्वविद्यालय से प्राप्त कानून की डिग्री 12 मार्च, 1967 के बाद भारत का राज्यक्षेत्र धारा 24 (1) (सी) (iii) के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है जब तक कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता हैः

(a) कि पाठ्यक्रम में शामिल होने के समय कानून में एक डिग्री के लिए कानून में निर्देश, वह स्नातक है एक विश्वविद्यालय, या ऐसी शैक्षणिक योग्यता रखता है जिन्हें स्नातक की डिग्री के बराबर माना जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किसी विश्वविद्यालय का;

(b) कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अवधि के लिए कानून में अध्ययन के पाठ्यक्रम से गुजरना इन नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तीन वर्ष की अवधि;

(c) कानून में अध्ययन का पाठ्यक्रम व्याख्यानों की अपेक्षित संख्या में नियमित उपस्थिति, एक द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज में शिक्षण और विवादास्पद अदालतें विश्वविद्यालय "। (जोर दिया गया)

16. धारा 49 में बार की सामान्य शक्ति की परिकल्पना की गई है। भारतीय परिषद न्यूनतम निर्धारित करने वाले नियम बनाएगी डिग्री के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कानून। बेहतर प्रशंसा के लिए, धारा 49 यहाँ नीचे उद्धृत की गई हैः

"49. भारतीय विधिज्ञ परिषद की सामान्य शक्ति नियम।

(1) भारतीय बार काउंसिल इसके लिए नियम बना सकती है - इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों का निर्वहन, और, विशेष रूप से,

(a) वे शर्तें जिनके अधीन एक अधिवक्ता हो सकता है राज्य बार काउंसिल के चुनाव में मतदान करने का अधिकार मतदाताओं की योग्यता या अयोग्यता सहित,

और जिस तरह से मतदाताओं की एक मतदाता सूची हो सकती है राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा तैयार और संशोधित किया जाए;

(ab) बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यताएँ और ऐसी सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ;

(ac) वह समय जिसके भीतर और जिस तरीके से प्रभाव पड़ता है। धारा की उप-धारा (2) के परंतुक को दिया जा सकता है

(ad) वह तरीका जिसमें किसी अधिवक्ता का नाम हो सकता है। एक से अधिक राज्यों में प्रवेश करने से रोका जाए रोल;

(ae) अधिवक्ताओं के बीच वरिष्ठता का तरीका निर्धारित किया जा सकता है;

(af) प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कानून में डिग्री का पाठ्यक्रम;

(ag) होने के हकदार व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित;

(ah) वे शर्तें जिनके अधीन एक अधिवक्ता अभ्यास करने का अधिकार है और परिस्थितियों के तहत जिसे एक व्यक्ति माना जाएगा। एक के रूप में अभ्यास करें एक अदालत में वकील;

(b) वह प्रपत्र जिसमें आवेदन किया जाएगा। एक राज्य से एक अधिवक्ता के नाम का स्थानांतरण दूसरे पर रोल करें;

(c) व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार का मानक अधिवक्ताओं द्वारा अवलोकन किया जाना;

(d) कानूनी शिक्षा के मानकों का पालन करना भारत में विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों का निरीक्षण वह उद्देश्य;

(e) व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कानून में विदेशी योग्यताएँ भारत के नागरिकों के अलावा जो के लिए मान्यता प्राप्त होगी इस अधिनियम के तहत एक वकील के रूप में प्रवेश का उद्देश्य;

(f) अनुशासन द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया राज्य बार काउंसिल की समिति और अपने दम पर अनुशासन समिति;

(g) अभ्यास के मामले में प्रतिबंध जिसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विषय होंगे;

(gg) जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ताओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों या वस्त्रों का रूप, किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होना; सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(h) शुल्क जो किसी भी मामले के संबंध में लगाया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत;

(i) राज्य विधिज्ञ परिषदों के मार्गदर्शन के लिए सामान्य सिद्धांत और जिस तरीके से निर्देश या आदेश जारी किए गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों को लागू किया जा सकता है

(j जे) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता हैः

बशर्ते कि खंड (ग) के संदर्भ में कोई नियम नहीं बनाए गए हों। या खंड (जी. जी.) तब तक प्रभावी होगा जब तक कि उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया होः बशर्ते कि] के संदर्भ में कोई नियम नहीं बनाए गए हों खंड (ई) प्रभावी होगा जब तक कि वे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित।

(2) पहले परंतुक में कुछ भी निहित होने के बावजूद उप-धारा (1) के संबंध में बनाए गए कोई भी नियम उक्त उप-धारा का खंड (c) या खंड (gg.) और शुरू होने से तुरंत पहले बल अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 60),में परिवर्तित या निरस्त या संशोधित होने तक लागू रहें इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार।

17. अधिनियम की धारा 49ए के तहत, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इसके लिए नियम बना सकती है - संबंधित नियमों सहित इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करना। किसी भी मामले के लिए जिसके लिए भारतीय बार काउंसिल या राज्य बार परिषद के पास नियम बनाने की शक्ति है, जिसमें वर्ग या अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने के हकदार व्यक्तियों की श्रेणी यह अधिनियम। यदि बार काउंसिल द्वारा बनाए गए नियम का कोई प्रावधान है केंद्र द्वारा बनाए गए नियम के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल इस धारा के तहत सरकार, तो, इस धारा के तहत नियम, चाहे बार काउंसिल द्वारा बनाए गए नियम से पहले या बाद में बनाया गया हो, प्रबल होगा और बार काउंसिल द्वारा बनाया गया नियम, तिरस्कार की सीमा, शून्य हो।

18. सबसे पहले हम इस बात की जांच करना चाहेंगे कि क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कोर्ट ऑफ अर्चना के लाइसेंसधारी होम्योपैथी दवाओं में परीक्षक (एल. सी. ई. एच.), जो याचिकाकर्ता एक डिग्री या स्नातक के समकक्ष है केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा डिग्री।

19. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1973 में संविधान का प्रावधान करने के उद्देश्य से होम्योपैथी के केंद्रीय पंजीयक। का मुख्य कार्य केंद्रीय होम्योपैथी परिषद एक वर्दी विकसित करेगी होम्योपैथी में शिक्षा का मानक और

पंजीकरण होम्योपैथी के चिकित्सक। उक्त अधिनियम की धारा 13 है - नीचे उद्धृत किए जाने योग्य हैः

> "13. दी गई चिकित्सा योग्यताओं की मान्यता किसी भी विश्वविद्यालय, बोर्ड द्वारा दी गई चिकित्सा योग्यताएँ या भारत में अन्य चिकित्सा संस्थान जो इसमें शामिल हैं दूसरी अनुसूची को चिकित्सा मान्यता दी जाएगी। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए योग्यता।
>
> (2) कोई भी विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य चिकित्सा संस्थान भारत जो एक चिकित्सा योग्यता प्रदान करता है जो इसमें शामिल नहीं है दूसरी अनुसूची केंद्र पर लागू हो सकती है ऐसी किसी भी योग्यता को मान्यता देने के लिए सरकार, और केंद्र सरकार, केंद्र से परामर्श करने के बाद परिषद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधन कर सकती है। दूसरी अनुसूची ताकि ऐसी योग्यता को शामिल किया जा सके उसमें ऐसी कोई अधिसूचना यह भी निर्देश दे सकती है कि एक प्रविष्टि दूसरी अनुसूची के अंतिम कॉलम में बनाया जाएगा। ऐसी चिकित्सा योग्यता के खिलाफ केवल तभी दी जाती है जब एक निश्चित तिथि के बाद।

20. बेहतर सराहना के लिए, की दूसरी अनुसूची परिषद अधिनियम, जिसने चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता दी विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सा द्वारा प्रदत्त होम्योपैथी भारत में संस्थान, और जहाँ तक महाराष्ट्र का संबंध है, नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः

दूसरी अनुसूची (खंड 13 देखें)

होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताएँ विश्वविद्यालयों, बोर्डों या चिकित्सा संस्थानों द्वारा अनुदानित भारत में

विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सा	संक्षिप्त रूप पंजीकरण	टिप्पणियां
1	2	3	4
11.होयोपैथिक एवं बायोकेमिक औषधि प्रणालियों के परीक्षकों का न्यायालय, बंबई	होम्योपैथी में परीक्षकों के न्यायालय का लाइसेंस होम्योपैथी और जैव रसायन में डिप्लोमा	एलसीईआर.	दिसंबर 1961 से
11A. विदर्भ बोर्ड होम्योपैथिक और बायोकेमिक मेडिसिन सिस्टम, नागपुर	होम्योपैथी और जैव रसायन	डी एच बी	दिसंबर 1955 से
11 बी. होम्योपैथिक और बायोकेमिक औषधि प्रणालियों के परीक्षकों का न्यायालय, बॉम्बे	होम्योपैथी और सर्जरी में डिप्लोमा	डी एच एम एस	दिसंबर 1976 से
11C.पुणे विश्वविधयालय	होम्योपैथी और सर्जरी में स्नातक	बी एच एम एस	1988 से 1990 तक
11D. बॉम्बे विश्वविधयालय	होम्योपैथी दवाओं और सर्जरी में डिप्लोमा	बी एच एम एस	1988 से 1990 तक
11E.होम्योपैथिक और बायोकेमिक औषधि प्रणालियों के परीक्षकों की कोर्ट, बॉम्बे	होम्योपैथी और सर्जरी में डिप्लोमा	डी एच एम एस सी सी एच विनियमन आगे	1997 से
11 एफ.डॉ. बाबासाहेब अंबेदकर मराठवाड़ा	होम्योपैथी और सर्जरी में स्नातक	बी एच एम एस	1991 से 1995 तक

विश्वविद्यालय, औरंगाबाद			
(ए) श्री भगवान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद	होम्योपैथी और सर्जरी में स्नातक	होम्योपैथी और सर्जरी मे स्नातक	1991 से 1995 तक
(बी) एस.के. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बीड	होम्योपैथी और सर्जरी में स्नातक	होम्योपैथी में स्नातक और सर्जरी	1991 से 1995 तक
12. होम्योपैथी में परीक्षकों का न्यायालय	होम्योपैथी में परीक्षकों के न्यायालय के फेलो	एफ सी बी एच	मई, 1958 में
12 ए महाराष्ट्र होम्योपैथी परिषद एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, खामगाओ	होम्योपैथी दवाओं और सर्जरी में डिप्लोमा	डी एच एम एस	सितंबर 1998 से
बी दक्षिण कसारीमुनि मिश्रीलालजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद	होम्योपैथी दवाओं और सर्जरी में डिप्लोमा	अडी एच एम एस	सितंबर 1998 से
बी. श्री जनारा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अकोला	होम्योपैथी दवाओं और सर्जरी में डिप्लोमा	डी एच एम एस	सितंबर 1998 से
(सी) डी. टी. एस. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अमरावती	होम्योपैथी दवाओं और सर्जरी में डिप्लोमा	डी एच एम एस	सितंबर 1998 से
ई होम्योपैथिक	होम्योपैथी दवाओं और	डी एच एम एस	सितंबर

मेडिकल कॉलेज, अकोला	सर्जरी में डिप्लोमा		1998 से
एफ. राजऋषि छत्रपति साहू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, इस्लामपुर	होम्योपैथी दवाओं और सर्जरी में डिप्लोमा	डी एच एम एस	सितंबर 1998 से
जी. पी सी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, चनरापुर	होम्योपैथी दवाओं और सर्जरी में डिप्लोमा	डी एच एम एस	सितंबर 1998 से
एच. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नागपुर	होम्योपैथी दवाओं और सर्जरी में डिप्लोमा	डी एच एम एस	सितंबर 1998 से
आई. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज चंदवार्ड	होम्योपैथी दवाओं और सर्जरी में डिप्लोमा	डी एच एम एस	सितंबर 1998 से
जे. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज चांदवर्ड	होम्योपैथी दवाओं और सर्जरी में डिप्लोमा	डी एच एम एस	सितंबर 1998 से
के. डी एस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज	होम्योपैथी दवाओं और सर्जरी में डिप्लोमा	डी एच एम एस	सितंबर 1998 से

21. धारा के उपरोक्त प्रावधानों का केवल अवलोकन 13 दूसरी अनुसूची के साथ यह पता चलेगा कि चिकित्सा किसी भी विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य द्वारा दी गई योग्यताएँ अनुसूची में शामिल संस्थान होंगे - उद्देश्य के लिए चिकित्सा योग्यता के रूप में मान्यता प्राप्त अधिनियम बनाएँ और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। दूसरी अनुसूची विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का उल्लेख किया और

अनुसूची मे यह स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों की होम्योपैथी महाविद्यालय मान्यता प्राप्त डिग्री पाठ्यक्रम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में। महाराष्ट्र राज्य, होम्योपैथी के परीक्षकों का न्यायालय (एल. सी. ई. एच.) और दवाओं की जैव रासायनिक प्रणाली (बी. एस. एम.) योग्यताएँ प्रदान की जाती हैं। महाराष्ट्र में, बॉम्बे विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी. एच. एम. एस.) में भी डिग्री प्रदान करें। दूसरी अनुसूची से यह स्पष्ट है कि एल. सी. ई. एच. स्नातक की डिग्री नहीं है, बल्कि यह एक योग्यता है होम्योपैथी चिकित्सा में अभ्यास।

22. होम्योपैथिक द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ नियम जिन्हें होम्योपैथिक कहा जाता है (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम 1989 विनियमन 4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात एम. डी. (होम) में प्रवेश के लिए शर्त रखता है।

विनियम 4 निम्नानुसार हैः

" पाठ्यक्रम में प्रवेश

(1) किसी भी उम्मीदवार को एम. डी. में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। (होम।) बेशक जब तक कि उसके पास डिग्री न होः

(i) होम्योपैथिक मेडिसिन और सर्जरी में स्नातक या एक पाठ्यक्रम से गुजरने के बाद, अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल होम्योपैथी में समकक्ष योग्यता

(ii) बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (श्रेणीबद्ध डिग्री) या समकक्ष योग्यता होम्योपैथी अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल है, कम से कम दो के के बाद वर्षों की अवधि। (2) .....

23. उपरोक्त विनियमन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि एम. डी. में प्रवेश के उद्देश्य से। (होम।) द उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी. एच. एम. एस.) या समकक्ष दूसरी अनुसूची में शामिल होम्योपैथी में योग्यता एक वर्ष अनिवार्य सहित कम से कम 5 वर्ष और 6 महीने की अवधि का अध्ययन पूरा करने के बाद अधिनियम इंटर्नशिप।

24. मान लीजिए, अपीलार्थी के पास कोई अधिकार नहीं है। बी. एच. एम. एस. में डिग्री या समकक्ष योग्यता एल. सी. ई. एच. योग्यता जो अपीलार्थी के पास है, उससे कम है। बिना किसी अनिवार्य इंटर्नशिप के 5 साल का पाठ्यक्रम। यह एक न्यायालय परीक्षकों के लाइसेंसधारी की योग्यता होम्योपैथी।

25. इस समय हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों का भी उल्लेख करना चाहेंगे।के समन्वय और निर्धारण के लिए अधिनियम बनाया गया था। विश्वविद्यालयों में मानक। उक्त अधिनियम की धारा 22 में प्रावधान है कि डिग्री प्रदान करने या प्रदान करने का अधिकार होगा द्वारा स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय द्वारा ही प्रयोग किया जाता है या किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत या एक विश्वविद्यालय माना जाने वाला संस्थान। डिग्री शब्द है इस धारा के तहत परिभाषित किया गया है जिसे नीचे उद्धृत किया गया हैः

> "22. उपाधि प्रदान करने का अधिकार-(1) डिग्री प्रदान करने या देने का प्रयोग केवल उस विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा जो उसके द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित है। केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियमय धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय

माना जाने वाला संस्थान या एक अधिनियम द्वारा विशेष रूप से सशक्त एक संस्था संसद द्वारा उपाधियाँ प्रदान करना या प्रदान करना।

26. धारा 22 की उप-धारा 3 'डिग्री' शब्द को परिभाषित करती है। जिसका अर्थ है कोई ऐसी डिग्री जो द्वारा निर्दिष्ट की गई हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आधिकारिक राजपत्र में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले ने हमारे सामने कोई प्रस्तुति नहीं दी है। ऐसी अधिसूचना यह दिखाने के लिए कि एल. सी. ई. एच. की योग्यता एक है द्वारा विधिवत अधिसूचित डिग्री या उसके समकक्ष केंद्र के पूर्व अनुमोदन के साथ आयोग सरकार।

27. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों में प्रावधान है कि डिग्री के लिए कानून के पाठ्यक्रम में शामिल होने के उद्देश्य से, उम्मीदवारकिसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या ऐसी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए जो बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री के बराबर मानी जाती है। भारतीय विधिज्ञ परिषद को विशेष रूप से नियम बनाने का अधिकार प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री के पाठ्यक्रम के लिए।

28. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि बार परिषद के पास प्रवेश के उद्देश्य से स्नातक डिग्री के समकक्ष किसी भी योग्यता को मान्यता देने की स्वतंत्र शक्ति है कानून में स्नातक की डिग्री के पाठ्यक्रम में।

29. यह प्रतिवादी के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि यह पता लगाने के लिए कि क्या एल. सी. ई. एच. की योग्यता समकक्ष है स्नातक की डिग्री के लिए विश्वविद्यालय बार से परामर्श करने के लिए बाध्य था भारतीय परिषद, न कि होम्योपैथी परिषद।

30. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमें आकर्षित किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एक अन्य बनाम अपर्णा बसु मलिक और अन्य (1994) 4 SCC 102 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दें। एक गैर-महाविद्यालयी महिला के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम कलकत्ता विश्वविद्यालय के विनियमन 35 के तहत उम्मीदवार। उस पर पाठ्यक्रम के सफल समापन के साथ, उन्हें सम्मानित किया गया था कलकत्ता के विनियमन 35 के संदर्भ में कानून की डिग्री विश्वविद्यालय। इसके बाद उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आवेदन किया। अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए। हालाँकि, उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सूचित किया गया था कि वह नामांकित होने की हकदार नहीं हैं क्योंकि उसने बार काउंसिल में निहित शर्त को पूरा नहीं किया था अधिवक्ताओं के प्रावधानों के तहत बनाए गए भारत के नियम एक्ट करें। उन्होंने अपने आवेदन की अस्वीकृति को चुनौती दी रिट के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष नामांकन इस आधार पर याचिका कि वही अवैध और अमान्य है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नियम 1 (1) (सी) अधिकार से बाहर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी)। सीखा है। एकल न्यायाधीश ने सभी दलीलों को खारिज कर दिया और शासन न करें। उक्त निर्णय के खिलाफ एक अपील को प्राथमिकता दी गई कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष। डिवीजन बेंच ने कहा कि नियम 1 (1) (सी) में कोई प्रावधान नहीं है। कानूनी शिक्षा का मानक लेकिन बशर्ते कि कानून की डिग्री भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से प्राप्त विश्वविद्यालय को मान्यता नहीं दी जाएगी। अधिनियम की धारा 24 के प्रयोजन के लिए जब तक कि शर्तें उसमें निर्दिष्ट संतुष्ट थे। डिवीजन बेंच ने अनुमति दी अपील और उस आदेश के खिलाफ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस अदालत को स्थानांतरित कर दिया। इस अदालत ने अपील को स्वीकार कर लिया और पलट दिया कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का निर्णय एकल न्यायाधीश

द्वारा खारिज किए गए निर्णय को बहाल किया गयायाचिका। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "14. अब धारा 7 के तहत, बार के कार्यों में से एक भारतीय परिषद उन विश्वविद्यालयों को मान्यता देगी जिनके कानून में डिग्री के रूप में नामांकन के लिए एक योग्यता होगी अधिवक्ता और उस उद्देश्य के लिए दौरा करने और निरीक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालयों की मान्यता की यह शक्ति है - जहां उस विश्वविद्यालय की कानून की डिग्री प्रदान की गई हो डिग्री धारक को अधिवक्ता के रूप में नामांकन का अधिकार देता है। धारा 24 (1) (सी) (iii) के तहत जो इसके लिए प्रासंगिक है। उद्देश्य, एक व्यक्ति के रूप में भर्ती होने के लिए योग्य होगा राज्य सूची पर एक अधिवक्ता यदि वह की शर्तों को पूरा करता है कानून में अध्ययन का तीन साल का पाठ्यक्रम पूरा किया हो भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से जो द्वारा मान्यता प्राप्त है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। धारा 24 की उप-धारा (3) एक है उप-धारा (1) के लिए अपवाद खंड क्योंकि यह एक गैर-अवरोधक खंड से शुरू होता है जो किसी व्यक्ति को होने का अधिकार देता है उस में बनाए गए विशेष नियम के तहत एक वकील के रूप में नामांकित की ओर से। ऐसा कोई नियम नहीं था जिस पर भरोसा किया गया था धारा 24 की उप-धारा (3) के तहत किया गया। अनुभाग 49 (1) (घ) बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नियम बनाने का अधिकार देता है। जो कानूनी शिक्षा के मानकों को निर्धारित कर सकते हैं भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा निरीक्षण किया जाना और निरीक्षण उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों का। यदि एक का अधिग्रहण योग्य होने के लिए

कानून में डिग्री आवश्यक है राज्य सूची में एक अधिवक्ता के रूप में स्वीकार किया गया, यह स्पष्ट है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास अधिकार होना चाहिए कानूनी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करना देश में विश्वविद्यालयों द्वारा देखा जाता है। एक संयोजन पर अधिनियम के इन प्रावधानों को नियम 1 (1) (सी) के साथ पढ़ना नियमों का भाग IV जो मानकों को निर्धारित करता है कानूनी शिक्षा और कानून में डिग्री की मान्यता भी अधिवक्ताओं के रूप में प्रवेश के रूप में, इसे समझना मुश्किल है कोई कैसे कह सकता है कि उक्त नियम इसके साथ असंगत है अधिनियम के किसी भी प्रावधान। नियम 1 (1) (सी) के लिए क्या आवश्यक है यह है कि कानून में अध्ययन का पाठ्यक्रम आर. सी. एच. ए. एन. ए. गिरिश सबनीस बनाम द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। एक द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज में आवश्यक संख्या में व्याख्यान, शिक्षण और विवादास्पद अदालतों में नियमित उपस्थिति विश्वविद्यालय। जैसा कि पहले बताया गया है, बलदेव में यह न्यायालय राज शर्मा मामला [1989 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 91] ने इंगित किया कि एक पाठ्यक्रम के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था एक नियमित छात्र के रूप में किए गए अध्ययन और पाठ्यक्रम एक निजी उम्मीदवार के रूप में की गई पढ़ाई। नीति. नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को अंतर्निहित करना है विधि कक्षाओं की नियमित उपस्थिति पर जोर देना। यह है, इसलिए, स्पष्ट करें कि एक उम्मीदवार जो नामांकन की इच्छा रखता है एक अधिवक्ता को इसके तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करना चाहिए के नियम 1 (1) (सी) के साथ पठित धारा 24 का प्रासंगिक खंड नियम हैं। वर्तमान

मामले में क्योंकि दोनों उम्मीदवार माना जाता है कि अध्ययन का कोई नियमित पाठ्यक्रम आगे नहीं बढ़ाया विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी महाविद्यालय कानून की कक्षाएं, व्याख्यान, शिक्षण और विवादास्पद अदालतें, वे यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने आवश्यकताओं का पालन किया है अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए। इस मामले में हम सोचते हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अपर्णा बसु मलिक बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया [ए. आई. आर. 1983] कैल 461] गलत है।

16. अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि जहाँ तक कलकत्ता छात्रा चिंतित थी, उसका मामला नियंत्रित किया गया था विनियमन 35 जो विशेष रूप से एक महिला को अनुमति देता है गैर-महाविद्यालयी छात्र के रूप में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार। यह 7 दिसंबर, 1979 के संकल्प द्वारा प्रावधान जो विश्वविद्यालय से महिला उम्मीदवार को सूचित करने की आवश्यकता थी अग्रिम रूप से कि वह नामांकन के लिए पात्र नहीं होगी एक अधिवक्ता और सम्मानित की जाने वाली डिग्री होगी एक शिलालेख इस प्रभाव के लिए कि यह एक गैर के रूप में प्राप्त किया गया था महाविद्यालयीन छात्र। नियम 35 मैदान को पकड़ नहीं सका जब तक कि यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप न हो और नियम। यही कारण है कि प्रावधान की आवश्यकता थी नियम में जोड़ा जाए। लेकिन अगर विश्वविद्यालय ने उस परंतुक को सम्मिलित करने के लिए छोड़ दिया गया जो [2014] 14 एस. सी. आर. का हकदार नहीं था। एक गैर-महाविद्यालयी के रूप में डिग्री प्राप्त करना। जब तक कि डिग्रीकानून की आवश्यकताओं के

साथ लगातार सुरक्षित किया गया था अधिनियम और नियमों के प्रावधान, यह काम नहीं करेगा नामांकन के लिए योग्यता के रूप में। प्रावधान जोड़ा गया था विनियमन 35 को अतिरिक्त सावधानी के माध्यम से। इसके बाद नियम 1 (1) (सी) को इसके वर्तमान रूप में शामिल करना, विनियमन 35 एक महिला उम्मीदवार को होने का अधिकार नहीं दे सकता था एक वकील के रूप में नामांकित यदि उसने एक के रूप में डिग्री हासिल की गैर-महाविद्यालयी "।

31. इसलिए, हम चिंता से विचार करने के बाद इस मामले में, निश्चित राय है कि बार काउंसिल ऑफ भारत लाइसेंस देने के लिए बाध्य नहीं है जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है। कानून की पैरवी कर सकते हैं लेकिन लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से अभ्यास, उसे सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित शर्तें। हम नहीं करते। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न होने का कोई कारण खोजें।

32. मामले के तथ्यों में, हम इसमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं अपील, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

अपील खारिज कर दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता मयंक चौधरी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।